

24/11/25

पत्रां पैरा हुई। वादी वकील उपवादी वादी  
वकील द्वारा दावा को नोटिस किया  
गया एवं अपनी इंस्ट्रुमेंटिंग दी गई।  
दावा को आगे चलाना नहीं चाहते  
हैं। अतः दावा नोटिस के आधार पर  
इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।  
पत्रां फेसल शुमार लेकर द्वाखिल दफ्तर  
ले।



